नगर पालिका, मेडता सिटी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/MERTA CITY/FIRENOC/2024-25/48162

जारी दिनांक: 25-FEB-2025 वैधता दिनांक: 24-FEB-2026

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SURENDRA RUNWAL

आवेदक का पता: BEHIND HARIRAM HOSPITAL, SAINIK BASTI, NAGAUR

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHREE BALDEV RAM MIRDHA RESEARCH INSTITUTE, 7 TO 12 10 TO 14, MERTA GOTAN ROAD, NEAR JODHPUR CHOKI, MERTA CITY, NAGAUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. अनापती प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा एक वर्ष बाद अनापती प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापती स्वतः निरस्त मानी जावेगी
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा
3. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशम विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा
5. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा
6. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
7. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
8. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
9. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा
10. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा
11. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
12. भूमि व भवन सम्बंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत् आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नही है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रुफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा

Signed by: Prakash Dudi
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: MERTA CITY, Rajasthan
Date: 25/02/2025 18:34:59

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, मेडता सिटी

Scanned with OKEN Scanner